

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

टेली-फैक्स/Tele-fax – 0522-2720634
दूरभाष/Telephone-0522-2720638, 2306185
ई-मेल/E-mail: up.gdc soi@gov.in



भारतीय सर्वेक्षण विभाग/Survey of India
मानचित्र भवन/Manchitra Bhawan
निदेशक का कार्यालय/Office of Director
पूर्वी उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र (उत्तरी क्षेत्र)
East Uttar Pradesh Geo-spatial Data Centre (N.Z.)
5, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ -226010 (30 प्र०)
5, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, LUCKNOW-226010(UP)


सं० 3188 / 18-ए-5(पेंशन अदालत)

दिनांक 09-08-2018

कार्यालय आदेश सं० 116 दिनांक 09-08-2018

भारत के महासर्वेक्षक का पत्रांक बी-456/1117-रूल्स दिनांक 09-02-2015 के अनुक्रम में दिनांक 17-09-2018 को प्रातः 11.00 बजे पूर्वी 30प्र० भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, मानचित्र भवन, 5-विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा आठवीं पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग लखनऊ केन्द्र से सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों/ फैमिली पेंशनरों से अनुरोध है कि जिनको पेंशन से संबंधित कोई भी शिकायत हो तो वे इस पेंशन अदालत में पेंशन भुगतान आदेश एवं बैंक खाता विवरण सहित उपस्थित होकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस आठवीं पेंशन अदालत की बैठक में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी भाग लेंगे :-

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. श्री आर० के० निगम, निदेशक | - | अध्यक्ष |
| 2. श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक | - | सदस्य |
| 3. प्रतिनिधि (केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, देहरादून) | - | सदस्य |
| 4. श्री बाल गोविन्द राम, कार्यालय अध्यक्ष | - | सदस्य |
| 5. श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, सहायक | - | सदस्य |
| 6. श्री प्रमोद कुमार, सहायक | - | सदस्य |
| 7. श्री विद्या प्रसाद पाण्डेय, सहायक | - | सदस्य |
| 8. श्री राकेश कुमार अग्रवाल, सहायक | - | सदस्य |


(आर० के० निगम)
निदेशक

पूर्वी 30 प्र० भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, लखनऊ

वितरण-

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ।
2. अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, राष्ट्रीय भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, देहरादून (ध्यानाकर्षण: वेबसाइट अनुभाग) को ई-मेल द्वारा इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि इस पत्र को भारतीय सर्वेक्षण विभाग की वेबसाइट पर दर्शाने की कृपा करें।
4. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अदालत की बैठक में भाग लेने हेतु आप स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि की उपस्थिति सुनिश्चित करने की कृपा करें।
5. श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. श्री बाल गोविन्द राम, कार्यालय अध्यक्ष / श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, सहायक / श्री प्रमोद कुमार, सहायक / श्री विद्या प्रसाद पाण्डेय, सहायक / श्री राकेश कुमार अग्रवाल, प्रवर श्रेणी लिपिक को अनुपालन हेतु।
7. समस्त यूनियन/ एसोसिएशनों के शाखा सचिव (पूर्व 30 प्र० भू-स्था० ऑ० के०) को सूचनार्थ। उनसे अनुरोध है कि वे अपने स्तर पर पेंशनरों को उक्त बैठक के संबंध में अवगत करा सकते हैं। अदालत वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। (08 प्रतियाँ)
8. सूचना पटल।